

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## संशोधन – आदेश

इस कार्यालय द्वारा, उप जिशिअ0-शारीरिक शिक्षा एवं समकक्ष स्तर पर वर्ष 2021-22 एवं डीपीसी वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक :- शिविरा/ मा/संस्था/ डीपीसी/प्रभाग-2/उजिशिअ-शाशि/2021-22/22 दिनांक 02.09.2022 तथा शिविरा/ मा/संस्था/ डीपीसी/प्रभाग-2/उजिशिअ-शाशि/2022-23/22 दिनांक 02.09.2022 द्वारा चयन किये जाने पर पदोन्नति पर पदस्थापन सम्बन्धी 2 आदेश, आदेशांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/उपजिशिअ शाशि/डीपीसी पदस्थापन (2021-22)/2022/दि0 : 28-10-2022 तथा शिविरा-मा/संस्था/ बी-1/45001/उपजिशिअ शाशि/डीपीसी पदस्थापन (2022-23)/2022/ दि0 : 28-10-2022 जारी किये गये थे। विभाग द्वारा जारी पदस्थापन सम्बन्धी उक्त दोनों आदेशों में निम्नांकितानुसार आंशिक संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है :-

- 1 आलोच्य दोनों आदेशों के प्रथम पैरा में उल्लेखित प्रावधान "राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत" को "राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के नियम 31 (ख) के प्रावधानान्तर्गत" पढा जावे।
- 2 आलोच्य दोनों आदेशों के तृतीय/ अन्तिम पैरा में अंकित अन्तिम लाईन "संलग्न सूची में क्रम संख्या 07 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा" को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

सयुक्त निदेशक-कार्मिक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/उपजिशिअ शाशि/डीपीसी पदस्थापन (संशोधन)/2022/ दि0 : 29-10-2022  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव-स्कूल शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान-सरकार, जयपुर
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2)/कार्मिक (क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान-सरकार, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान-सरकार, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. समस्त संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/ समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
8. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक।
9. संबंधित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/वि0 जांच/डीपीसी/संस्था-सी ओएसी अनुभाग कार्यालय हाजा
13. निजी एवं रक्षित पत्रावली

सयुक्त निदेशक-कार्मिक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर